2022/15

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री अमित कुमार साम्बरिया
निवासी चर्च रोड गांधीनगर आबूरोड
आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जो कोई हो

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं [illegible] वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
07.01.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलाट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलाट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जो कोई हो को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 01 जुलाई 1996 को श्री बीरबल चौधरी के नाम से किए गए भू–संपरिवर्तन की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा कराने के सम्बन्ध में पत्रावली पर किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलाट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी जो कोई हो को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 01 जुलाई 1996 को श्री बीरबल चौधरी के नाम से किए गए भू–संपरिवर्तन की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नही हो रहा है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना किस कार्यालय से मांगी गई है एवं न ही अपीलांट ने इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कहीं पर भी अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:58:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner